भारतीय स्टेट बँक
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शेयर आणि बॉन्ड विभाग, कॉर्पोरेट केन्द्र, 14वा माळा, स्टेट बँक भवन,
मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
शेयर आणि बॉन्ड विभाग, कारपोरेट केन्द्र, 14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
Shares & Bonds Department, Corporate Center, 14th Floor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai-400 021.

Tel. 91-22-2274 0841 - 48 (Eight Lines) I **Fax :** 91-22-2285 5348 I E-mail : gm.snb@sbi.co.in

Date : 21.01.2016

Ref. No. CC/S&B/NJ/2511.

The Managing Director
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051

Dear Sir/Madam,

LISTING REGULATION:
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE BANK

With reference to the captioned matter and in terms of the SEBI Listing Regulations, we forward herewith, for your information and necessary action, a copy of the gazette notification dated 19.01.2016 regarding general meeting of the shareholders.

Yours faithfully,

(PVBN Murty)
General Manager

Encl: as above

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2016/पौष 29, 1937
No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2016/ PAUSA 29, 1937

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

संदर्भ सं. बीओडी एण्ड जी ओ/एमआरएम/850.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की साधारण सभा शुक्रवार, दिनांक 26/02/2016 को प्रातः 11.00 बजे स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मैडम कामा रोड, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी :

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उन्हें संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

1. **"संकल्प किया जाता है कि** भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहां इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण, चाहे भारत या विदेश में हो, जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, के अनुमोदन (अनुमोदनों), सहमति (सहमतियों) और संस्वीकृति (संस्वीकृतियों), यदि कोई हो, के अध्यधीन और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अध्यधीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन (अनुमोदनों), सहमति (सहमतियों) और संस्वीकृति (संस्वीकृतियों), प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में केंद्रीय निदेशक बोर्ड (यहाँ इसके बाद इसे बोर्ड कहा गया है) द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है और जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत

गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति, और बैंक के अपने अधिकारों (इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित) का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत अन्य कोई समिति शामिल की हुई समझी जाएगी तथा समय-समय पर सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (दि "सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों और सेबी, आरबीआई तथा/अथवा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों, चाहे भारत या विदेश में हो, द्वारा जारी प्रयोज्य नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों के अध्यधीन और जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध हैं, उन शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के अध्यधीन बोर्ड को निम्नलिखित के संबंध में बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतदद्वारा सहमति प्रदान की जाती है":

क. प्रति रु. 1 के इक्विटी शेयर ऐसी संख्या में जिनकी अधिकतम राशि रु.15,000 करोड़ (रुपए पन्द्रह हजार करोड़) से अधिक न हो या ऐसी राशि में जिसे भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस शर्त के अध्यधीन अनुमोदित किया जा सकता है कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार की धारिता किसी भी तरह से 52% से कम न हो, पब्लिक इश्यू (अर्थात फिर से पब्लिक ऑफ़र-एफपीओ) या राइट इश्यू या क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार या उनके संयोजन से जिसे इस बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, सहित प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में बनाना, प्रस्तावित, निर्गमन और आबंटित करना।

ख. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अंतर्गत लागू नियमों एवं विनियमों और भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन बोर्ड अपने विवेकाधिकार से शेयरों की संख्या एवं प्रकार, शृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों तथा/अथवा अन्य दूसरे व्यक्तियों, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, और जिस प्रकार सेबी विनियमों में व्यवस्था की गई है, के लिए आरक्षण तथा ऐसे निर्गम (निर्गमों) का समय निर्धारित करना।

2. "आगे यह संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी/एफपीओ/अन्य दूसरे प्रकार से, जिसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, प्रस्तावित एवं आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर कागज रहित रूप में रहेंगे सिवाय राइट इश्यू के जहाँ शेयरों को कागज एवं कागजरहित रूप दोनों प्रकार से जारी किए जाएंगे और एनआरआई, एफआईआई तथा/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमित एवं आबंटित इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन रहेंगे।"

3. "आगे यह संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू/जीडीआर/एडीआर तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार से या उनके संयोजन, जिसे भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, के रूप में प्रस्तावित एवं आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप रहेंगे और सांविधिक प्रावधानों/दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो लाभांश घोषणा के समय लागू हों, घोषित लाभांश के लिए पात्र रहेंगे"।

4. "आगे यह संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, इक्विटी शेयरों का आबंटन क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल क्रेताओं (क्यूआईबी) को केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अंतर्गत कीमत-निर्धारण फार्मूले के अनुसार निर्धारत कीमत पर डिस्काउंट, जो 5% से अधिक न हो, यदि कोई हो तो, देकर किया जाएगा या ऐसे डिस्काउंट की दर सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है और ऐसे शेयरों का आबंटन संकल्प पारित होने की तिथि से बारह महीने की अवधि के अंदर पूर्ण किया जाएगा तथा संबद्ध तिथि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

5. "आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास इस प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार रहेगा जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/शेयर बाजारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य दूसरे उचित प्राधिकरण द्वारा शेयरों के निर्गम, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके

अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृति प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय आवश्यक हो सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं और जिनके लिए बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो।

6. "आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के प्रयोजन से, बोर्ड को और जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति, और बैंक के अपने अधिकारों (इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित) का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत अन्य कोई समिति शामिल की हुई समझी जाएगी ऐसी सभी कार्रवाइयाँ और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और ऐसी वस्तुएं, जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझी जाती हो, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों तथा/अथवा अन्य दूसरे व्यक्तियों जिनके बारे में बोर्ड निर्णय ले सकता है और जिस प्रकार सेबी विनियमों में व्यवस्था की गई है, के लिए शेयर आरक्षित करने के बारे में निर्णय लेने सहित परंतु सीमित नहीं, तथा ऐसे किसी मामले, कठिनाई या संदेह का निवारण करने के लिए जो इक्विटी शेयरों/जीडीआर/एडीआर के निर्गम के संबंध में उठ सकते हैं, और इसके अतिरिक्त ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय और उचित हो सकते हैं और जो उसके पूर्व विवेकाधिकार में शेयरधारकों की अन्य किसी सहमति या अनुमोदन मांगने की आवश्यकता के बिना सही, उचित या वांछनीय समझी जा सकती है/या इस उद्देश्य और इस अभिप्राय से प्राधिकृत करने से इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदन दिया हुआ समझा जाएगा।"

कारपोरेट केंद्र,

स्टेट बैंक भवन अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष

मैडम कामा रोड [विज्ञापन-III/4/असा./331]

मुंबई – 400 021

दिनांक : 15.01.2016

व्याख्यात्मक विवरण

<u>पब्लिक इश्यू [फिर से पब्लिक इश्यू (एफपीओ)] या राइट इश्यू या क्यूआईपी, जीडीआर/एडीआर सहित प्राइवेट प्लेसमेंट तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार से या उनके संयोजन से जिसे भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक अनुमोदित कर सकता है।</u>

भारत में बेसल III पूंजी अपेक्षाओं के कार्यान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश दिनांक 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध ढंग से लागू हो गए हैं। 31 मार्च 2019 को ये दिशा-निर्देश पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 31 मार्च 2015 को 9.31% की सीईटी-I पूंजी के साथ 12.00% रहा। बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि बैंक 9% के न्यूनतम स्तर पर टियर-I पूंजी के साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात को न्यूनतम 12% बनाए रखेगा। तथापि, आरडब्ल्यूए में संवृद्धि के अनुमानों के आधार पर और लाभ को फिर से निवेश करने से, यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक को वित्त वर्ष-16 और वित्त वर्ष-17 के दौरान अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी।

बैंक को आस्तियों में पूर्वानुमानित संवृद्धि के अनुरूप और पूंजी पर्याप्तता के निर्धारित स्तर का पालन करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से वित्त वर्ष 15-16 से वित्त वर्ष 18-19 तक प्रति वर्ष कैपिटल कंसरवेशन बफ्फर (सीसीबी), अर्थात 0.625% और काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफ्फर की आवश्यकता एवं 01.04.2016 से 01.04.2019 तक 0.15% की दर से डी एस आई बी पूंजी की आवश्यकता के कारण। तदनुसार, चालू वर्ष के दौरान और आगामी वर्षों के लिए व्यवसाय संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए,

उच्चतर पूंजी, विशेष रूप से टियर-I पूंजी की आवश्यकता होगी। अवधि समाप्ति के समय के पूंजी अनुपात को शुरू से ही लक्षित करने से, वित्त वर्ष-19 की पूंजी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करना सुनिश्चित हो सकेगा।

विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद, साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने प्रति रु. 1 के इक्विटी शेयर अधिकतम राशि रु.15,000 करोड़ (रुपए पन्द्रह हजार करोड़) तक के या ऐसी राशि के जिसे भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस शर्त के अध्यधीन अनुमोदित किया जा सकता है कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार की धारिता किसी भी तरह से 52% से कम न हो, पब्लिक इश्यू (अर्थात फिर से पब्लिक ऑफ़र-एफपीओ) या राइट इश्यू या क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार या उनके संयोजन से, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन जिसे बैंक अपने श्रेष्ठ हित में उचित समझता हो, जारी करके पूंजी बाजार में जाने की योजना बनाई है।

बैंक को बाजार से पूंजी जुटाने और पूंजी जुटाने के प्रकार संबंधी उसकी संस्तुतियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की संभावना है और शेयर बाजार के सूचीकरण विनियमों के विनियम 41 के अनुसार, शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर फिर से सिक्युरिटी की पेशकश करने के लिए, यदि उन्हें नहीं की गई हो, तो उनका अनुमोदन आवश्यक है।

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू/जीडीआर/एडीआर तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार से या उनके संयोजन से जिसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, के रूप में इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए विस्तृत निबंधन एवं शर्तें बोर्ड द्वारा विभिन्न मध्यस्थों और ऐसे अन्य संबंधितों और उचित प्राधिकारियों के साथ, जिनकी प्रचलित बाजार परिस्थितियों और अन्य दूसरे घटकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता हो सकती है, के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाएंगी। इस विशेष संकल्प में बोर्ड को इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर को एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में, ऐसे समय या समयों में, ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसे निवेशेकों जिनका इसमें उल्लेख किया गया है और बोर्ड अपने विवेकाधिकार से इसे पूर्ण रूप से उचित समझता है, जारी करने हेतु अधिकार देने की मांग की गई है।

निदेशक बोर्ड पब्लिक इश्यू के रूप में [अर्थात फिर से पब्लिक ऑफ़र-(एफपीओ)] या राइट इश्यू या क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/ अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्रकार या उनके संयोजन से, जिसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, प्रस्तावित पूंजी जुटाने के संबंध में सभी संबद्ध सांविधिक, विनियामक या अन्य दूसरे प्रयोज्य दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुपालन के अध्यधीन इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्प को आपके द्वारा अनुमोदित करने की संस्तुति करता है।

टिप्पणियां

(i) प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची:

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय में और बैंक की वेबसाइट : www.statebankofindia.com / www.sbi.co.in पर कारपोरेट गवर्नेन्स/शेयरधारक इन्फो लिंक के अंतर्गत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं:

(i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, 14 वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई- 400021 – टेलीफोन नं. (022)-22740841-0848.

(ii) मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी-5, पार्ट-बी, क्रास लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400093, टेलीफोन नं. (022)-66712201-03.

उपस्थिति पर्चियां दिनांक 26/02/2016 को साधारण सभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार-पत्र (जहां लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, 14 वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021 में दिनांक 18/02/2016 (गुरुवार) को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

(ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि :

साधारण सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में दिनांक 20/02/2016 (शनिवार) को दोपहर 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

(i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, 14 वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021

(ii) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सिनर्जी, सी-6, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

New Delhi, the 19th January, 2016

Ref. No. BOD&GO/MRM/850.—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India, convened specially for the purpose stated hereunder, will be held on Friday, the 26/02/2016 at 11.00 a.m. in the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra) to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

1."**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act 1955 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval(s), consent(s) and sanction(s), if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other concerned and appropriate authority(ies), whether in India or abroad, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them, if any, in granting such approval(s), consent(s) and sanction(s) and approval of by the Central Board of Directors (hereinafter called "the Board") and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") and applicable Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications issued by SEBI, RBI and/or and all other relevant authorities, whether in India or abroad, from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to "the Board" :-

a. to create, offer, issue and allot, such number of Equity Shares of Re.1 each, not exceeding Rs.15,000 crores (Rupees fifteen thousand crores) or such amount as may be approved by GoI & RBI, by way of

public issue (i.e. Further Public Offer-FPO) or Rights issue or Private Placement, including Qualified Institutions Placement (QIP)/Global Depository Receipt (GDRs)/ American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, subject to the condition that the Government of India shareholding in equity share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time.

b. to decide the quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, existing shareholders and / or any other persons as may be decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval under Section 5(2) of the State Bank of India Act, 1955.

2. "RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/any other mode, as approved by GoI & RBI shall be in dematerialized form, except for Rights issue where the shares may be issued in both physical and dematerialized form, and the equity shares/GDR/ADR so issued and allotted to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI/SEBI."

3. "RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/Rights Issue/GDR/ADR and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory provisions/guidelines that are in force at the time of such declaration."

4. "RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the allotment of equity shares shall only be made to Qualified Institutional Buyers (QIBs) at a discount not exceeding 5%, if any, on the price determined in accordance with the pricing formula under SEBI (ICDR) regulations, or such discount as may be specified by SEBI and the allotment of such shares shall be completed within a period of twelve months from the date of passing of the resolution and the relevant date shall be in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended from time to time."

5. "RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or may be imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and/or any other regulatory authority, whether in India or abroad, where the equity shares/GDR/ADR of the Bank are listed or may be listed, or other appropriate authority(ies), at the time of according / granting their approval(s), consent(s), permission(s) and sanction(s) for the issue(s), allotment(s) and listing(s) thereof and as agreed to by the Board."

6. "RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955, and any other Committee of Directors duly authorized by the Central Board to exercise its powers (including the powers conferred by this resolution) be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, and things, give all such approvals, as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on price or prices, discount / premium, reservations to employees, existing shareholders and / or any other persons as may be decided by the Board and as provided under SEBI regulations and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue(s) of the equity shares/GDR/ADR and finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai – 400 021
Date – 15-01-2016

ARUNDHATI BHATTACHARYA, Chairman
[ADVT-III/4/Exty./331]

EXPLANATORY STATEMENT

Public Issue [i.e. Further Public Offer (FPO)] or Rights Issue or Private Placement including QIP, GDR/ADR, and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be approved by GoI & RBI

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April, 2013 in a phased manner. The Guidelines will be fully phased in as on 31st March, 2019.The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 31st March, 2015, stands as 12.00%, with CET-I Capital at 9.31%. The Central Board of the Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratio at 12% with Tier-I capital at minimum of 9%. However, based on the assumptions of growth in RWA and plough back of profits, it is expected that the Bank will require additional Capital during FY16 & FY17.

The Bank requires adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. 0.625% every year from FY15-16 to FY 18-19, D-SIB capital requirement of 0.15% every year starting from 01.04.2016 to 01.04.2019 & Counter Cyclical Capital Buffer (CCCB). Accordingly, considering the business growth during the current year as well as that for the years to come, there is a need for higher capital, particularly, Tier-I capital. Targeting the end state Capital ratios, at the initial stage, will ensure smooth transition to FY19 Capital requirements.

After evaluating the various available alternatives, as well as taking into consideration the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has planned to access capital market to raise capital, by issuing equity shares of Re.1 each, up to Rs.15000 crores (Rupees fifteen thousand crores) or such amount as may be approved by GoI & RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Further Public Offer (FPO) / Rights Issue/Global Depository Receipt (GDRs)/ American Depository Receipt (ADRs)/ and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to such terms and conditions as may be felt appropriate in the best interest of the Bank.

The Bank is likely to receive approval from RBI & GoI to its recommendations for raising capital from the market and the mode thereof and in terms of Regulation 41 of the Listing Regulations with the Stock Exchanges, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

The detailed terms and conditions for issue of equity shares by way of FPO / Rights Issue / QIP/GDRs / ADRs/ and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI will be determined by the Board in consultation with various intermediaries and such other concerned and appropriate authorities as may be required by considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares/ GDR/ ADR in one or more tranches, at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

The Board of Directors, subject to compliance of all related statutory, regulatory or any other applicable Guidelines, Notifications and Circulars in connection with the proposed equity raising by way of public issue [(i.e. Further Public offer (FPO)] or Right Issue or Private Placement, including Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI& RBI, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

NOTES

(i) PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP:

Bank's eligible shareholders are advised that the Proxy Forms and Attendance Slips are available in the Secretariat of Chief General Managers of Bank's fourteen Local Head Offices, and Bank's websites: www.statebankofindia.com / www.sbi.co.in under the link Corporate Governance/SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices:

(i) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, 14th Floor, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai –400021, Telephone: (022) 2274 0841- 0848.

(ii) M/s Datamatics Financial Services Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai-400093. Telephone: (022) 66712201-03.

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 26/02/2016.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 18/02/2016 (Thursday) by 5.00 PM.

(ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Shareholders, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 20/02/2016 (Saturday) by 5.00 PM

(i) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, 14th Floor, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021.

(ii) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Synergy, "C 6", G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.